राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग–1)

प.5(1)प्रसु / सम / अनु–1 / 2018 जयपुर, दिनांक 30/12/2024

आज्ञा

इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आज्ञा दिनांक 04.01.2023 द्वारा दिनांक 15.01.2023 से राजकीय अधिकारियों / कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर लगाया गया पूर्ण प्रतिबंध स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा / कॉलेज शिक्षा विभाग व तकनीकी शिक्षा विभाग को छोड़कर शेष विभागों के लिए **दिनांक 01.01.2025 से दिनांक 10.01.2025 तक** की अवधि के लिए एतद् द्वारा हटाया जाता है।

इस विभाग के आदेश क्रमांक प.5(1)प्रसु / सम / अनु–1 / 2008 पार्ट–1 / 04611 दिनांक 08.10.2024 से निर्वाचन विभाग द्वारा जारी मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़े कार्मिकों के स्थानान्तरणों पर दिनांक 29.10.2024 से 06.01.2025 तक प्रतिबंध लगाया हुआ है। उक्त क्रम में निर्वाचन विभाग, राजस्थान के पत्र क्रमांक एफ. 3(3)(2)रोल / निर्वा / BNT / 2024 / 11757 दिनांक 30.12.2024 के क्रम में उक्त प्रतिबंध दिनांक 07.01.2025 तक प्रभावी होगा।

यह आदेश राज्य के समस्त निगमों / मण्डलों / बोर्ड / स्वायत्तशाषी संस्थाओं पर भी लागू होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(उर्मिला राजोरिया) 30/12/24
शासन सचिव

मानक वितरण